मानननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2018 / निगरानी – 3432/2018/मुरैना/भू.रा.

निगरानीकर्ता ... ... श्रीमती अनीता शर्मा पत्नि श्री गिर्राज क्रिशोर शर्मा, निवासी : ग्राम तिवारीपुरा, तहसील व जिला मुरैना मध्य प्रदेश

विरूद्ध

असल रेस्पोण्डेंट... ... ...

1. श्रीमती मीना पुत्री दौलतराम पत्नि श्री गंगाराम निवासी ग्राम विरहदुआ (बेताल सिंह का पुरा) तहसील अम्बाह जिला मुरैना मध्य प्रदेश

श्री राजवीर धाकड़ अभि० द्वारा आज दि. 4-6-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 12-6-18 नियत।
क्लार्क ऑफ कोर्ट 4-6-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

2. श्रीमती शिवदेई पुत्री दौलतराम पत्नि देवेन्द्र सिंह, निवासी: ग्राम जडेरूआ, हाल निवासी: आदर्श नगर, पिण्टो पार्क, मुरार ग्वालियर मध्य प्रदेश

3. भगवानदास पुत्र श्री दौलतराम

4. रामदास पुत्र श्री दौलतराम निवासीगण ग्राम बिजौली पुरा (तिवारी का पुरा) तहसील व जिला मुरैना मध्य प्रदेश

राजवीर धाकड़ एडवोकेट

तरतीबी रेस्पोण्डेंट... ...

5. मीरा पुत्री दौलतराम पत्नि घनश्याम कोट वारिस दिव्या पुत्री घनश्याम हालनिवास: आदर्श नगर, पिन्टो पार्क, मुरार, ग्वालियर मध्य प्रदेश

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत

महोदय,

निवेदन है कि, अपीलाण्ट की ओर से अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 155/2011-12/अपील में पारित आदेश दिनांक 17/05/2018 के विरूद्ध निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

निगरानी के संक्षिप्त विवरण:

1. यहकि, ग्राम बिजौलीपुरा स्थिति भूमि सर्वे क्रमांक 408, 417, 449, 450, 467 के मूल भूमि स्वामी दौलतराम थे उनके स्वर्गवास होने के पश्चात् पंजी क्रमांक 4 दिनांक 15/01/80 में पारित आदेश दिनांक 22/11/80 से दौलतराम के प्रथम श्रेणी के वारिसानों भगवानदास एवं रामदास एवं वैवा राधाबाई के नाम विधिवत् प्रक्रिया के द्वारा

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3432/2018/मुरैना/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08/08/2018	आवेदक अधिवक्ता श्री राजवीर धाकड़ उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है प्रश्नाधीन भूमि के भूमि स्वामी दौलतराम के फौत होने पर विचारण न्यायालय सजरा प्रमाणित न कराया जाकर पुत्रियों का नाम छोड़कर नामांतरण आदेश पारित किया गया। जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त कर अपील स्वीकार की गई, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत होकर स्थिर रखे जाने योग्य है, जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का प्रथम दृष्टया कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	